न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 402/2018

वादी :– रामकरण पुत्र श्री रामसुख, जाति जाट(राड़) निवासी इन्दावड़ तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नारायणराम पुत्र श्री पुराराम
2. हरचंद पुत्र श्री पुराराम

   दोनों जाति जाट(राड़), निवासीगण इन्दावड़

   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा इन्दावड़
5. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा मेड़तासिटीं

दावा बाबत घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :–30.07.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हिन्दू है और हिन्दू मिताक्षरा कानून से गर्वन होते है। सभी एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता रामसुख व पुराराम कुटुम्बी भाई थे। ग्राम इन्दावड़ की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 2093 रकबा 1.98 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2094 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

1.97 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2095 रकबा 1.97 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2096 रकबा 1.97 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पैतृक, संयुक्त काश्त व कब्जासुद है। उक्त खसरान की भूमि वाद में आगे वादग्रस्त खसरान से संबोधित किया गया है। जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 व ट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपियां साथ में पेश है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। उनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। वादग्रस्त खसरान की भूमि का बंटवाड़ा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आज से करीब एक वर्ष पूर्व कर लिया। जिसका नजरी नक्शा परिशिष्ट–क साथ में पेश है, जो दावा का भाग है तथा बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 4 में वर्णितानुसार है। पक्षकारान बंटवाड़ा के दिन से उक्त वर्णित बंटानुसार अलग–अलग काश्त व काबिज हैं तथा अलग–अलग सीवें व माठे कायम कर ली है। मगर वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बंटवाड़ा अभी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ है। जिससे वादी यह वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़ा का पेश कर रहा है। वादग्रस्त खसरान की भूमि की खातेदारी माफिक बंटवाड़ा दर्ज नही है तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि का बंटवाड़ा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ है। जिससे वादी को वादग्रस्त खसरान की भूमि का स्वतंत्र उपयोग व उपभोग करने में बड़ी भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादी वादग्रस्त खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाकर खातेदारी अपने नाम अलग से घोषित करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

जिससे बंटवाड़ा का वाद पेश है। वादग्रस्त खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में खातेदारी बंटवाड़ा के विपरीत दर्ज होने से प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है तथा प्रतिवादीगण खातेदारी की आड़ में वादी के काश्त व कब्जा में दखलअंदाजी करने तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स होने से पूर्व ही बैचान व हस्तान्तरण करने की भागदौड़ कर रहे है तथा वादी को वादग्रस्त खसरान की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है। जिससे वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी साथ में पेश करना पड़ रहा है। अतः दावा हाजा पेश है। प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी होने से बंटवाड़ा के दावा में आवश्यक पक्षकार होने से तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के यहां भूमि रहन दर्ज होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 11 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा ग्राम इन्दावड़ की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 65, 1323, 990, पट्टा बापी इन्दावड़ की फोटो नम्बर रजिस्टर 25, पट्टा बापी गांव इन्दावड़ की फोटो प्रति, पट्टा बापी गांव इन्दावड़ न.र. पट्टा 34 की फोटो प्रति, भू–प्रबंध विभाग द्वारा पर्चा नोटिस की फोटो प्रति, भू–प्रबंध विभाग के कब्जा नोटिस प्रति, मौजा इन्दावड़ के खसरा नम्बर 441 पासबुक की फोटो प्रति, भूमि की खातेदारी पासबुक, भूमि की जोत की पासबुक की फोटो प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के सम्मन तारीख

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

पेशी 09.07.2018 के तामील सुदा प्राप्त, आज दिनांक को आवाज लगायी गई अनुपस्थित रहने से दिनांक 30.07.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है तथा वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 का अनापत्ति प्रमाण पत्र एसएम/2018/07/6 दिनांक 07.07.2018 की फोटो प्रति पेश की।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(1) **वादी रामकरण के बंट में :–** मौजा इन्दावड़ की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 2093 रकबा 1.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2094 रकबा 1.97 हैक्टेयर में से रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2095 रकबा 1.97 हैक्टेयर में से रकबा 0.32 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ट–क में दर्शित अनुसार कुल रकबा 3.94 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(2) **प्रतिवादी संख्या 1 नारायणराम के बंट में :–** मौजा इन्दावड़ की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 2096 रकबा 1.97 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6(3) **प्रतिवादी संख्या 2 हरचंद के बंट में :–** मौजा इन्दावड़ की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 2094 रकबा 1.97 हैक्टेयर में से

उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता (ना.)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2095 रकबा 1.97 हैक्टेयर में से रकबा 1.65 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ट–क में दर्शित अनुसार कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner